



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1245]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2011/आषाढ़ 10, 1933

No. 1245]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2011/ASADHA 10, 1933

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2011

का.आ. 1493(अ).—केंद्रीय सरकार चाय नियम, 1954 के नियम 4 और 5 के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च, 2014 तक चाय बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और निर्देश देती है कि भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (चाय नियंत्रण) की अधिसूचना सं. का.वि.आ. 944, तारीख 17 मार्च, 1954 में निम्नलिखित और संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 1 से 31 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :—

- | | | |
|---|---------|--|
| 1. अध्यक्ष,
चाय बोर्ड, कोलकाता। | अध्यक्ष | नियम 4 के उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त। |
| 2. प्रधान सचिव,
उद्योग और वाणिज्य विभाग,
असम सरकार, दिसपुर, गुवाहाटी। | सदस्य | प्रमुख चाय उपजकर्ता राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त। |
| 3. सचिव (आईपी), उद्योग विभाग,
केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम, केरल | सदस्य | प्रमुख चाय उपजकर्ता राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त। |
| 4. प्रधान सचिव,
उद्योग और वाणिज्य विभाग,
त्रिपुरा सरकार, अगरतला, त्रिपुरा। | सदस्य | प्रमुख चाय उपजकर्ता राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त। |
| 5. प्रधान सचिव,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग,
तमिलनाडु सरकार, सचिवालय,
चेन्नई, तमिलनाडु | सदस्य | प्रमुख चाय उपजकर्ता राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त। |

- | | | | |
|-----|---|-------|--|
| 6. | अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव सदस्य
वाणिज्य और उद्योग विभाग,
पश्चिम बंगाल सरकार,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल । | | प्रमुख चाय उपजकर्ता राज्यों की सरकारों
का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियम 4 के
उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त । |
| 7. | सचिव (कृषि),
कृषि विभाग,
हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला, हिमाचल प्रदेश । | सदस्य | प्रमुख चाय उपजकर्ता राज्यों की सरकारों
का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियम 4 के
उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त । |
| 8. | श्री राजेन गोहाई,
संसद सदस्य, लोक सभा, | सदस्य | नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ख)
के अधीन संसद का प्रतिनिधित्व करने के लिए |
| 9. | श्री पी. विश्वनाथन,
संसद सदस्य,
लोक सभा, | सदस्य | नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ख)
के अधीन संसद का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| 10. | श्री समन पाठक,
संसद सदस्य,
राज्य सभा, | सदस्य | नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ख)
के अधीन संसद का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| 11. | श्री सी. एन. नटराज,
युनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन
ऑफ सदर्न इंडिया,
कुन्नूर, तमिलनाडु । | सदस्य | नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ग)
के अधीन चाय एस्टेटों और बागानों तथा
चाय उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| 12. | श्री शंकर मालाकार
बाबुपुरा, सिलिगुड़ी
पश्चिम बंगाल । | सदस्य | नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ग)
के अधीन चाय एस्टेटों और बागानों तथा
चाय उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| 13. | श्री कोशी बेबी,
गुडालुर बाजार,
नीलगिरी जिला, तमिलनाडु । | सदस्य | नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ग)
के अधीन चाय एस्टेटों और बागानों तथा
चाय उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| 14. | श्री पी. वी. बालचन्द्रन,
कलपट्टा उत्तर, पो.ऑ. वायानाड,
केरल । | सदस्य | नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ग)
के अधीन चाय एस्टेटों और बागानों तथा
चाय उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| 15. | श्री चिरंजीव सिंह बेदी,
अध्यक्ष,
इंडियन टी एसोसिएशन,
कोलकाता, पश्चिम बंगाल । | सदस्य | नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ग)
के अधीन चाय एस्टेटों और बागानों तथा
चाय उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| 16. | श्री दिनेश कुमार शर्मा,
उपाध्यक्ष,
ऑल असम स्मॉल टी प्रोअर्स,
एसोसिएशन, तिनसुकिया, असम । | सदस्य | नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ग)
के अधीन चाय एस्टेटों और बागानों तथा
चाय उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| 17. | श्री राजिन्दर सिंह ठाकुर,
खालेट टी एस्टेट, पालमपुर,
जिला-कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश । | सदस्य | नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ग)
के अधीन चाय एस्टेटों और बागानों तथा
चाय उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |

- | | | | |
|-----|---|-------|---|
| 18. | श्री जे. एल. बुटाइल,
कांगड़ा वैली टी एस्टेट,
पालमपुर, जिला-कांगड़ा,
हिमाचल प्रदेश । | सदस्य | नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ग)
के अधीन चाय एस्टेटों और बागानों तथा
चाय उपजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| 19. | श्री हिरण्य बोरा,
मकान नं: 36, तरुण नगर,
बाय-लेन-4,
गुवाहाटी, असम-781005 | सदस्य | नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (घ)
के अधीन चाय एस्टेटों और बागानों में
नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| 20. | श्री ए. के. मोनी,
टॉप स्टेशन रोड, मन्नार,
पो.ऑ.-इदुक्की, केरल । | सदस्य | नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (घ)
के अधीन चाय एस्टेटों और बागानों में
नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| 21. | श्रीमती बरनाली डे मोहिन्ता,
नजरूल सराणी, आश्रमपारा,
सिलिगुड़ी, जिला-दार्जिलिंग,
पश्चिम बंगाल-734001 | सदस्य | नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (घ)
के अधीन चाय एस्टेटों और बागानों में
नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| 22. | श्री आलोक चक्रवर्ती,
सिलिगुड़ी, पश्चिम बंगाल | सदस्य | नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (घ)
के अधीन चाय एस्टेटों और बागानों में
नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| 23. | रिक्त | सदस्य | नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (घ)
के अधीन चाय एस्टेटों और बागानों में
नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| 24. | श्री चन्द्रकान्त,
प्रबंध निदेशक,
गोलचा टी प्लांटेशन प्रा. लि.,
42, (15/ए), प्रथम क्रॉस,
चिंतामणि नगर, के. के. पुदुर,
कोयम्बतूर, तमिलनाडु । | सदस्य | नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ड.) के अधीन
चाय के निर्यातकों और आंतरिक व्यापारियों दोनों सहित
डीलरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| 25. | श्री अंशुमन कनोरिया,
10 प्रिंसेप स्ट्रीट,
कोलकाता-700072 | सदस्य | नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ड.) के अधीन
चाय के निर्यातकों और आंतरिक व्यापारियों दोनों सहित
डीलरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| 26. | डॉ. एस. रामू, पीएचडी
डोड्डाकोम्बु टी फैक्ट्री कं. प्रा. लि.,
स्नोडॉन टी फैक्ट्री, कुन्नूर,
नीलगिरी, तमिलनाडु, भारत । | सदस्य | नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (च) के अधीन
चाय के विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |
| 27. | श्री संजीव सरीन,
क्षेत्रीय अध्यक्ष- साउथ एशिया
टाटा ग्लोबल विबरेजेज लि.
62, III क्रॉस, II चरण,
औद्योगिक उप-क्षेत्र, यशवंतपुर,
बेंगलुरु । | सदस्य | नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (च) के अधीन
चाय के विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए । |

28. डॉ. अजित कुमार अगरवाला सदस्य नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (छ) के अधीन चाय के उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
अगरवाला हाउस, II माइल स्टोन
सेवोक रोड, सिलिगुड़ी, पश्चिम बंगाल ।
29. श्री समीर राय, सदस्य नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (छ) के अधीन चाय के उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
स्टेशन रोड, जलपाइगुड़ी-735101
पश्चिम बंगाल ।
30. सुश्री चित्रा रमेश, 801, “ए” ब्लॉक, सदस्य नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ज) के अधीन अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।
आरएनएस शांति निवास अपार्टमेंट,
तुमकुर रोड, यशवंतरपुर,
बेंगलुरु-560022
31. श्री देवा प्रसाद रे, कोलकाता सदस्य नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ज) के अधीन अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ।”
पश्चिम बंगाल

[फा. सं. टी-49019/1/2010-भागान (क)]

विजयलक्ष्मी जोशी, अपर सचिव

टिप्पण :— मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में सा.नि.आ. सं. 944, तारीख 17 मार्च, 1954 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. का.आ. 2723(अ.), तारीख 29 अक्टूबर, 2009 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2011

S. O. 1493(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), read with rules 4 and 5 of the Tea Rules, 1954, the Central Government hereby appoints the following persons as Chairman and Members of the Tea Board, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette up to the 31st day of March, 2014 and direct that the following further amendments shall be made in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Commerce and Industry (Tea Control), number S.R.O. 944, dated the 17th day of March, 1954, namely:—

In the said notification, for serial numbers 1 to 31 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

1.	Chairman, Tea Board, Kolkata	Chairman	appointed under sub-rule (1) of rule 4.
2	Principal Secretary, Industries and Commerce Department, Government of Assam, Dispur, Guwahati, Assam.	Member	representing the Government of the principal tea growing States appointed under clause (a) of sub-rule (1) of rule 4.

3	Secretary(IP), Industries Department, Government of Kerala, Thiruvananthapuram, Kerala	Member	representing the Government of the principal tea growing States appointed under clause (a) of sub-rule (1) of rule 4.
4	Principal Secretary, Department of Industries and Commerce, Govt. of Tripura, Agartala, Tripura.	Member	representing the Government of the principal tea growing States appointed under clause (a) of sub-rule (1) of rule 4.
5	Principal Secretary, Micro, Small and Medium Enterprises Department, Government of Tamil Nadu, Secretariat, Chennai, Tamil Nadu.	Member	representing the Government of the principal tea growing States appointed under clause (a) of sub-rule (1) of rule 4.
6	Additional Chief Secretary and Principal Secretary, Commerce and Industries Department, Government of West Bengal, Kolkata, West Bengal.	Member	representing the Government of the principal tea growing States appointed under clause (a) of sub-rule (1) of rule 4.
7	Secretary (Agriculture) Department of Agriculture Government of Himachal Pradesh, Shimla, Himachal Pradesh.	Member	representing the Government of the principal tea growing States appointed under clause (a) of sub-rule (1) of rule 4.
8	Shri Rajen Gohain, Member of Parliament, Lok Sabha	Member	representing Parliament under clause (b) of sub-rule (1) of rule 4.
9	Shri P. Vishwanathan, Member of Parliament, Lok Sabha	Member	representing Parliament under clause (b) of sub-rule (1) of rule 4.
10	Shri Saman Pathak, Member of Parliament, Rajya Sabha	Member	representing Parliament under clause (b) of sub-rule (1) of rule 4.
11	Shri C.N.Nataraj, President, The United Planters' Association of Southern India, Coonnor, Tamil Nadu	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.
12	Shri Sankar Malakar, Babupura, Siliguri, West Bengal.	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.
13	Shri Koshy Baby Gudalur Bazzar, Nilgiri Distt., Tamil Nadu.	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.
14	Shri P.V. Balachandran, Kalpatta North P.O., Wayanad Kerala.	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.
15	Shri Chiranjiv Singh Bedi, Chairman, Indian Tea Association, Kolkata, West Bengal.	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.

16	Shri Dinesh Kumar Sarma, Vice President, All Assam Small Tea Growers Association, Tinsukia, Assam	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.
17	Shri Rajinder Singh Thakur, Khalet Tea Estate, Palampur, Distt. Kangra, Himachal Pradesh.	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.
18	Shri J.L. Butail, Kangra Valley Tea Estate, Palampur, Distt. Kangra, Himachal Pradesh.	Member	representing owners of tea estates and gardens and growers of tea under clause (c) of sub-rule (1) of rule 4.
19	Shri Hiranya Bora, House No. 36, Tarun Nagar, Bye-Lane-4, Guwahati, Assam-781 005	Member	representing persons employed in Tea Estates and Gardens under rule clause (d) of sub-rule (1) of rule 4.
20	Shri A.K. Mony, Top Station Road, Munnar P.O., Idukki, Kerala.	Member	representing persons employed in Tea Estates and Gardens under rule clause (d) of sub-rule (1) of rule 4.
21	Smt. Barnali Dey Mohinta, Nazrul Sarani, Ashrampara, Siliguri, Distt. Darjeeling, West Bengal- 734001.	Member	representing persons employed in Tea Estates and Gardens under rule clause (d) of sub-rule (1) of rule 4.
22	Shri Aloke Chakraborty, Siliguri, West Bengal.	Member	representing persons employed in Tea Estates and Gardens under rule clause (d) of sub-rule (1) of rule 4.
23	Vacant	Member	representing persons employed in Tea Estates and Gardens under rule clause (d) of sub-rule (1) of rule 4.
24	Shri Chandrakant Managing Director, Golcha Tea Plantation Pvt Ltd, 42, (15/A) 1 st Cross, Chintamani Nagar, K. K. Pudur, Coimbatore, Tamil Nadu.	Member	representing dealers including both exporters and internal traders of tea under clause (e) of sub-rule (1) of rule 4.
25	Shri Anshuman Kanoria, 10 Princep Street, Kolkata - 700072	Member	representing dealers including both exporters and internal traders of tea under clause (e) of sub-rule (1) of rule 4.
26	Dr. S.Ramu, Ph.D Doddacombu Tea Factory Co Pvt Ltd, Snowdon Tea Factory, Coonoor, Nilgiris, Tamil Nadu, India.	Member	representing manufacturer of tea under clause (f) of sub-rule (1) of rule 4.
27	Shri Sanjiv Sarin, Regional President- South Asia Tata Global Beverages Limited 62, III Cross, II. Phase, Industrial Suburb, Yeshwanthpur, Bengaluru.	Member	representing manufacturer of tea under clause (f) of sub-rule (1) of rule 4.

28	Dr. Ajit Kumar Agarwala, Agarwala House, 11nd milestone, Sevoke Road Siliguri, West Bengal.	Member	representing consumers of tea under rule clause (g) of sub-rule (1) of rule 4.
29	Shri Samir Roy, Station Road Jalpaiguri- 735101, West Bengal	Member	representing consumers of tea under rule clause (g) of sub-rule (1) of rule 4.
30	Ms. Chitra Ramesh, 801, 'A' Block, RNS Shanthi Nivas Apartment, Tumkur Road, Yeshwanthpur, Banagaluru-560022.	Member	representing other interests under clause (h) of sub-rule (1) of rule 4.
31	Shri Deba Prasad Ray, Kolkata, West Bengal.	Member	representing other interests under clause (h) of sub-rule (1) of rule 4.

[F. No. T-49019/1/2010-Plant (A)]

VIJAYLAXMI JOSHI, Addl. Secy.

Note :—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 18th day of March, 1954 *vide* S.R.O. No. 944, dated the 17th day of March, 1954, and was last amended *vide* notification number S. O. 2723(E), dated the 29th October, 2009.